न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **पंकज कुमार आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या – 11/2015 **(GCMS 2015/00225603)**

अपीलार्थीगण –

01. श्रीमती सुंदर पुत्री स्व. श्री पुनारामजी पत्नी चंपालालजी, उम्र 42 वर्ष, जाति माली, निवासी– सालावास, तहसील लूणी, जोधपुर।

02. श्रीमती सीरा कंवर पुत्री स्व. श्री पुनारामजी पत्नी लालाराम उम्र 50 वर्ष, जाति माली, निवासी– सूरजबेरा, सूरसागर, जोधपुर।

03. स्व. श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम जाति माली के कायम मुकाम –

3/01 . श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री लूणाराम जाति माली उम्र 50 वर्ष, निवासी बडली नेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

3/02 श्री पप्पुराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम जाति माली उम्र 36 वर्ष निवासी बडली मेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

3/03 श्री दौलाराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम जाति माली उम्र 38 वर्ष, निवासी बडली नेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

3/04 नेमीचंद पुत्र स्व. श्री लूणाराम जाति माली, उम्र–42 वर्ष निवासी– बडली नेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

3/06 दिनेश पुत्र स्व. श्री लूणाराम जाति माली उम्र 34 वर्ष, निवासी बडली नेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

बनाम्

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

02. जगदीश पुत्र स्व. श्री पूनाराम जाति माली निवासी– बडली नेड पोस्ट बडली जिला जोधपुर।

03. लिछु देवी पत्नि अचलाराम जाति माली निवासी गांव चादडा तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व (लैण्ड रेवन्यू) अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 361 दिनांक 20–08–2015 जिसके द्वारा स्व. श्री पूनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् एक मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जगदीश के नाम नामांतरकरण दर्ज किया गया

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

एवम्

नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 07/09/2015

जिसके द्वारा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 03

लिछु देवी का नाम नामान्तरण दर्ज किया गया

उपस्थित –

01 अपीलार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

02. प्रत्यर्थीगण की तरफ से श्री अधिवक्ता गोविन्दसिंह राठौड एवं श्री नवरत्न चारण

निर्णय दिनांक 27/5/24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील वादग्रस्त भूमि ग्राम बासनी सेफा तहसील व जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 107 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा हेतु इस आशय की प्रस्तुत की है कि वादग्रस्त भूमियों में अपीलार्थी संख्या 01 व 02 व लूणाराम के पिता पूनाराम का आधा हिस्सा है। पूनाराम सवाई सिंह वगैराह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। श्री पूनाराम का दिनांक 14.11.2002 को देहांत होने पर उसके कुल 05 विधिक वारिस लूणाराम, जगदीश, सुंदर, श्रीमती सीरा कंवर, श्रीमती रामी हुवें। लूणाराम का देंहांत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान 3/1 से 3/5 है। पूनाराम का देहांत होने पर उसके प्रथम श्रैणी के विधिक वारिसान वादग्रस्त भूमियों के स्वामी हुए। लूणाराम का दिनांक 21.11.2009 को देहांत हो गया जिस कारण अपीलार्थी संख्या 3/1 से 3/5 का समान रूप से हक हिस्सा है। मृतक पूनाराम की पत्नि रामीदेवी का 28.12.2011 को देहांत हो गया। अपीलार्थी संख्या 3/1 को हाल ही में जानकारी हुई है कि जगदीश अकेले के नाम नांमातरकरण दर्ज है इसी के साथ यह भी ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी संख्या 02 जगदीश व प्रत्यर्थी संख्या 03 लिछु देवी का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। अपीलार्थीगण अलौच्य नामांतरकरण से क्षुब्ध है जिनके विधिक अधिकारो का हनन हो रहा है। जिस कारण अपील प्रस्तुत कर रहे है।

अपीलार्थीगण द्वारा आधार अपील उल्लेखित करते हुए कथन किया है कि पुनाराम के स्वर्गवास के पश्चात जगदीश के अलावा अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी संख्या 02 भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस है। हल्का पटवारी तथा तहसीलदार से मिलावट कर जगदीश ने अकेले के नाम नामांतरकरण दर्ज करवाया है जो नामांतरकरण संख्या 361 विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। जगदीश अकेले को बेचान हंस्तारण का अधिकार नहीं था जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 03 लिछु देवी के हक में विक्रय के आधार पर पारित नामांतरकण विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। आलौच्य नामांतरकरण पारित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (डायर) जोधपुर

करते समय न तो अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया न ही पूनाराम के वारिसान की कोई जांच की गई एवम् न ही नियमों की पालना भी की गयी हैं। जिस कारण नामांतरण संख्या 361 व 363 प्रथम दृष्टया अवैध व अनाधिकार रूप से पारित हैं। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक की सम्पदा में उसके प्रथम श्रेणी के समस्त विधिक वारिसान का समान रूप से हक व अधिकार है किंतु अकेले जगदीश के हक में पारित नामांतरकण प्रारम्भतः प्रभाव शून्यमात्र है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी संख्या 03 के हक में दिखावटी विक्रय विलेख दर्शाया जा रहा है। विधि द्वारा प्राप्त अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पूनाराम के वारिसान के मध्य आज दिन तक कभी भी बंटवाडा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति मे आलौच्य नामांतरकरण संख्या 361 व 363 निरस्त कर अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जावें।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 श्रीमती लिच्छु देवी के अधिवक्ता ने फार्म नम्बर 3 के साथ में रेकर्ड शाखा, पटवारी, ग्राम पंचायत से प्राप्त कर फार्म नम्बर 3 के साथ पेश किये दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृर्षित करते हुए बताया कि खतौनी बंदोबस्त 2011 से 2030 के खाता नम्बर 26 राजस्व गांव बासनी सेफा के खसरा नम्बर 107 जो कि पूना वल्द रूपा 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो पूनाराम की स्वःअर्जित निजी सम्पति है जिसे वसीयत व अन्य प्रकार से हस्तान्तण करने का पूर्ण अधिकार था तथा वसीयतनामा दिनांक 27.02.1999 पूनाराम द्वारा अपने पुत्र जगदीश रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से की है का अवलोकन करवाया तथा पूनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करवाया। जिससे उक्त भूमि पूनाराम की निजी सम्पति होना पाया जाता है तथा उसके आधार पर वसीयतनामा दिनांक 27.02.1999 विधिवत है तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 361 भी विधिवत स्वीकृत है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जगदीश पुत्र श्री पूनाराम के नाम से जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ तथा मौके पर काबिज हुआ। व श्री जगदीश पुत्र श्री पूनाराम द्वारा श्रीमती लिच्छु देवी पत्नी श्री अचलाराम के नाम से बेचाननामा निष्पादित किया गया। उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 363 राजस्व गांव बासनी सेफा स्वीकृत हुआ। जो विधिवत है। उसके आधार पर श्रीमती लिच्छु देवी उक्त भूमि पर बतौर वास्ते मालिक काबिज है तथा उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते हुवे उपयोग व उपभोग कर रही है तथा ग्राम पंचायत चावंड़ा पंचायत समिति जोधपुर द्वारा बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.08.2015 वं शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र इत्यादि पेश किये। जिनका अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि वसीयतनामा के आधार पर श्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जगदीश

अतिरिक्त कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

खातेदार हुआ तथा उसके आधार पर बेचाननामा निष्पादित किया गया। जिस रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर खातेदारी दर्ज हुई व आज दिन उक्त बेचाननामा अस्तित्व में है। ऐसी स्थिति में धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की सरसरी प्रक्रिया में खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि मृतक खातेदार श्री पूनाराम के अपील में वर्णित अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है, जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामातंरकरण पारित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा स्व0 श्री पूनारामजी द्वारा निष्पादित कथाकथित वसीयतनामा दिनांक 27.02.1999 के आधार पर नामांतरकरण पारित करना दर्शाया जा रहा है जिसके तहत तहसीलदार को धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मृतक श्री पूनाराम के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाना बाध्यकारी था किंतु तहसीलदार द्वारा अवैध व अनाधिकार रूप से नामांतरकरण पारित किया गया है जो निरस्त किया जाकर मृतक श्री पूनाराम के वारिसान के रूप में अपीलार्थीगण का नाम भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा मूल रूप से आपत्ति ली गई है कि अपीलार्थी द्वारा एक ही अपील के जरिये नामांतरकरण संख्या 361 एवं नामांतकरण संख्या 363 को संयुक्त रूप से चुनौती दी गई है जब कि विधिनुसार दो पृथक पृथक नामांतरकरण को एक ही अपील के जरिये चुनौती नही दी जा सकती है इसी प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा म्याद बाधित रूप से अपील प्रस्तुत की गयी है विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जहां अपील अथवा अन्य कोई कार्यवाही म्याद बाधित रूप से प्रस्तुत की जाती है वहां न्यायालय को ऐसी कार्यवाही की सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार भी नहीं रह जाता है। मौके पर वर्तमान खातेदार काबिज है। वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार निहित नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी मौखिक बहस के समर्थन में न्याय दृष्ट्रात 2013 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या–32, 2007 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या–26, 2006–07 (**SUPP**) आर.आर.टी. 261 ए.आई.आर. 1993 सवौच्च न्यायालय 1245, 2007 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 939 (सवौच्य न्यायालय), ए.आई.आर. 1997 सवौच्य न्यायालय 2724, 1967 आर.आर.डी. 49 प्रस्तुत करते हुए धारा 18 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बिन्दु संख्या 27 वसीयत का रजिस्ट्रीकरण एवं नियम 30 रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट–2 प्रस्तुत किये है।

उभय पक्षकार के तर्को के समर्थन में पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थीगण द्वारा मौजूदा अपील नामांतरकरण संख्या 361 दिनांक 20.08.2015 तथा

नामांतरकण संख्या 363 दिनांक 07.09.2015 के विरूद्ध संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है जो दोनो ही नामांतरकरण पृथक पृथक दिनांक को पारित किये गये है जिस संबध मे पक्षकार विशेष को वाद कारण भी भिन्न भिन्न दिनांक को उत्पन्न हुए है। अपीलार्थी द्वारा पश्चातवर्ती नामांतरकरण को पारिणामिक रूप से निरस्त किये जाने के अनुतोष की मांग भी नहीं की गयी है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण एक ही अपील के जरिये दो भिन्न भिन्न नामांतरकरण को चुनोती दे रहे है जो विधिनुसार अनुज्ञेय नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल अपील को पुर्नःस्थापित किया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित दिनांक के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.10.2015 को प्रस्तुत की गयी थी। जिसकी ताईद अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र से से बखूबी होती हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जब कि नामांतरकरण दिनांक 20.08.2015 तथा 07.09.2015 को चुनोती दी गई है। स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण द्वारा विधि द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिए विहित समयावधि के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गयी है जिस विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भी अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र तक बावजूद आपत्तियों के भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों से यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि म्याद बाधित रूप से प्रस्तुत किसी भी अपील अथवा कार्यवाही की सुनवाई का विलम्ब को क्षमा किये बिना न्यायालय को क्षैत्राधिकार भी नही रह जाता है। तथा नामान्तरकरण संख्या 361 व 363 गांव बासनी सेफा ग्राम पंचायत चावंड़ा पंचायत समिति जोधपुर को बहाल रखा जाता है।

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

27/5/24.

(पंकज कुमार) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर